अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2003

का.आ. 355(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 96 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार भील सेवा मंडल, चाकालिया रोड, दाहोद-389151, गुजरात द्वारा गुजरात के पंचमहल और दाहोद जिले के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जिनकी वार्षिक आय 18,000/-रू0 से अधिक नहीं है, शैक्षिक गतिविधियों का विस्तार, भवनों और दीवारों का निर्माण/मरम्मत ,उपस्करों की खरीद,बाड़/बंध /परीखा, वाटर टैंक और पाइप लाइन उपलब्ध कराने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 8 पर विनिर्दिष्ट किया था,

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भील सेवा मंडल, चाकालिया रोड, दाहोद-389151, गुजरात द्वारा गुजरात के पंचमहल और दाहोद जिले के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जिनकी वार्षिक आय 18,000/-रू0 से अधिक नहीं है के लिए शैक्षिक गतिविधियों का विस्तार, भवनों और दीवारों का निर्माण/मरम्मत ,उपस्करों की खरीद,बाड़/बंध/परीखा, वाटर टैंक और पाइप लाइन उपलब्ध कराने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण् वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए पच्चीस लाख रूपए की कार्पस निधि सहित मात्र दो करोड़ बयासी लाख, पचास हजार रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 70-2003/फा. सं: एन.सी.-166/2002]

जी. सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)